भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 4108

दिनांक 18.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कामगारों को पारिश्रमिक

4108. श्री ए॰के॰पी॰ चिनराजः
श्री सु॰ थिरूनवुक्करासरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए) या स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत कार्यरत कामगारों/श्रमिकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक/मजदूरी बहुत कम है और वर्तमान में केवल 85 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार के पास उक्त पारिश्रमिक/ मजदूरी को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ख) स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार उनके प्रयासों को पूरा करने के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत अपने कामगारों के लिए ऐसा कोई विशेष मजदूरी निर्धारित नहीं की गई है। यदि कोई उनके द्वारा काम पर लगाया जाता है तो राज्य सरकारों को कामगारों/श्रमिकों की उचित मजदूरी सुनिश्चित करनी चाहिए।